

तारीख
हुक्म

22/1/24

पत्रावली पेशी
अधीनस्थ
अधीनस्थ अपाचा/उपस्था
दिनांक 17-11-23
पेशी 2

17/2/24

14.2.24

14/2/24

अधीनस्थ अपाचा/उपस्था
दिनांक 13/3/24

13/3/24

अधीनस्थ अपाचा/उपस्था
दिनांक 18.3.24

13.03.2024:-पत्रावली पेशी में आई। वादी वकील उपस्थित नहीं आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया पत्रावली में अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपब्रह्मधिकारी
हनुमानगढ़



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 "ए"
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ब अदालत सहायक कलक्टर एवं
उपब्रह्मधिकारी महोदय, हनुमानगढ़

- 1-मोहम्मद युसुफ उर्फ युसुफ अली पुत्र सुहराव जाति मुसलमान
- 2-कुतुबदीन उर्फ कुतब खां पुत्र सुहराव जाति मुसलमान

निवासीयान किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

बनाम

- 1-मोहम्मद तुफैल पुत्र सखी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- 2-राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति

श्रीमानजी,

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया निम्न प्रकार से है-

- 1- यह कि प्रार्थीगण के नाम से वाके चक 1 के के डबल्यू खाता खता मे प0नं0 143/201 मुरबा नं0 9 किला नम्बर 7/063 है0, 8/24, 25 प0नं0144/201 मुरबा नं0 10 किला नम्बर 21 ता 25 प0नं0 किला नम्बर 21/0.114 है0, 22/0.025 है0 प0नं0 145/202 मुरबा नं0 2/0.240, 3/0.164 है0, 8 ता 13, 16 ता 20 प0नं0 144/202 मुरबा नं0 1 ता 20 प0नं0 143/202 मुरबा नं0 16 किला नम्बर 4 ता 6, 1 मय गैरमुमकिन भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमे प्रार्थीगण का नकल जमाबंदी वाके चक 1 के के डबल्यू खाता संख्या 24/हमराह पेश है।
- 2- यह कि उक्त संयुक्त खाता मे मुताबिक घरू बंटवारा के के डबल्यू प0नं0 किला नम्बर 16, 17 व प0नं014/20 हम प्रार्थीयान को प्राप्त है जिस पर काबिज रहकर काश्त क